कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी गौतमबुद्वनगर

पत्र संख्या: भ–96/सीएफओ/जीबीएन/2010/1320 दिनांक:नवम्बर 30 2010

सेवा में

प्रभारी भवन प्रकोष्ठ
सैक्टर–6 नोएडा
गौतमबुद्वनगर

विषय: प्लाट न0–जी0 एच0– 09/सैक्टर–75 नोएडा में प्रस्तावित मैसर्स एम्स मेक्स गार्डेनिया आवासीय अपार्टमेन्ट के निर्माण व अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट से सम्बन्धित मानचित्रों प्राप्त हुआ जिसका निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा गौतमबुद्वनगर से कराया गया जों निम्नवत है ।

1– भवन के सामने 45 मीटर चौडी सडक है जिस पर अग्नि शमन विभाग के सभी प्रकार के वाहन किसी भी आकस्मिक स्थिति में स्थल तक आसानी से पहुॅच सकते है।

2– भवन के निर्माण हेतु 20000 वर्ग मीटर का प्लाट उपलब्ध है जिसमें से 4152.392 वर्ग मी0 भूमि पर 10 टावर्स (आवासीय भवन) का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है भवन का निर्माण डवल बेसमेन्ट व भूतल के अतिरिक्त चौदहवे तल तक कराया जायेगा जिसके प्रथम बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–13567.334 वर्ग मीटर,द्वितीय बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया– 13567.334 वर्ग मीटर, भूतल / स्टिल्ट तल का कवर्ड एरिया 1051.128 वर्ग मीटर, प्रथम प्रथम तल से बारहवे तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया–3919.632 वर्ग मीटर है एवं भवन की ऊचॉई 44.70 मीटर मानचित्र में अंकित है।

3– **बेसमेन्ट**

प्रस्तावित भवन में दो बेसमेन्ट बनाया जाना प्रस्तावित है बेसमेन्ट से भूतल व भूतल से बेसमेन्ट में जाने आने के लिए 10 स्टेयर केसों का प्राविधान किया गया है । स्टेयर केस की चौडाई नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 के क्लॉज 4.9.6 के अनुरूप होनी चाहिये एवं स्टेयर केस से स्टेयर केस की दूरी टेवुल न0–22 के अनुरूप आवश्यक है ।

4– **सैट बैक**

भवन के सामने की तरफ 15 मीटर बाई तरफ 09 मीटर, दाहिनी तरफ 09 मीटर व पीछे की तरफ 09 मीटर सैट बैक छोडा गया है जिसमें से 06 मीटर मोटरेविल सैट बैक अग्नि शमन वाहनों के आवागमन के लिए सदैव अवरोध रहित रखा जाना अनिवार्य होगा ।

5– स्टेयर केस/लिफ्ट

भूतल से उपरी तलों में जाने आने के लिए प्रत्येक ब्लाक में दो स्टेयर केस व दो लिफट का प्राविधान किया गया है जिसमें से एक लिफ्ट को फायर मैन लिफ्ट के रूप में चिन्हित किया जाय एवं स्टेयर केसों की चौडाई नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 के क्लॉज 4.9.6 के अनुसार होना अनिवार्य होगा ।

7– प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था

आर्केटेक्ट द्वारा प्रस्तुत प्रश्नोत्तरी एवं अग्नि शमन प्रणाली से सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाई गई अग्नि सुरक्षा प्रणाली को भवन निर्माण के साथ भवन में स्थापित करावा लिया जाय । इसके अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं का किया जाना आवश्यक है ।

1– अग्नि शमन कार्यो के लिए बनाये जा रहे भूमिगत टैंक को भरने के लिए एक हजार लीटर प्रति मिनट क्षमता का पम्प लगाया जाय जो इमरजेन्सी विद्युत आपूति से चालित होगा ।

2– भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाय ।

3– भवन में प्रदिप्त संकेत चिन्ह के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया– 2005 पार्ट–4 के क्लॉज 4.16 से 4.17 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय

4– भवन में विद्युत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 के क्लॉज सी के 1.12 ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय

5– भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम का प्राबिधान किया जाय जो भवन में स्मोक जनरेट होने के दौरान कार्य करेगा इसे इमरजेन्सी विद्युत व्यवस्था से जोडा जाय

6– भवन में फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट 4 के क्लॉज सी–5 का पालन किया जाय ।

7– भवन में स्थापित की जाने वाली अग्नि शमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्नि शमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 के क्लॉज सी–6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय

उपरोक्त के अतिरिक्त भवन निर्माण /अग्नि सुरक्षा व्यवस्था /डिटैक्शन प्रणाली की स्थापना के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 व भवन निर्माण उपविधि–2008 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय ।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है ।

एम० वी० सिंह
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः– 1 अग्नि शमन अंधिकारी फेज प्रथम नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

2 प्रस्तावित भवन प्रबन्धक एम्स मेक्स गार्डेनिया आवासीय अपार्टमेन्ट प्लाट न0 जी.एच.–09 / सैक्टर–75 नोएडा को अनुपालनार्थ ।